न्यायालय सहायक कलक्टर, भदेसर जिला–चित्तौड़गढ़ (राज.)

पीठासीन अधिकारी – सुश्री अंजू शर्मा, आर.ए.एस.

निर्णय दिनांक
30.05.2022

प्रकरण संख्या
10 / 2021

अनवान

भेरूलाल पिता किशना जाति ब्राहम्ण उम्र वयस्क निवासी पोटलाकंला तहसील भदेसर, जिला चित्तौड़गढ़ (राज.)

....प्रार्थी

।। बनाम ।।

1. भूमिधारी जरिये तहसीलदार भदेसर, जिला चित्तौडगढ
2. लेहरूलाल पिता दयाराम जाति खटीक उम्र वयस्क निवासी भदेसर तहसील भदेसर, जिला चित्तौड़गढ़ (राज.)

....विपक्षीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 भू0 राजस्व अधिनियम 1956

उपस्थित– श्री औंकारलाल रायका वकिल प्रार्थी

1. हस्तगत प्रार्थना पत्र के संक्षिप्त में तत्य इस प्रकार है कि प्रार्थी की ओर से भु राजस्व अधिनियम 1956 धारा 136 के तहत प्रार्थना पत्र इस आशय का प्रस्तुत किया कि प्रार्थी के खातेदारी एवं कब्जे काश्त की कृषि आराजीयात राजस्व ग्राम पोटलाकंला पटवार हल्का पोटलाकंला की खाता संख्या 110 में दर्ज आराजी नम्बर 298 रकबा 0.43 हैक्टयर, दर्ज रेकार्ड है। जिसके सेटलमेंट से पूर्व के आराजी नम्बर 204/11 रकबा 2 बीघा दर्ज रेकार्ड थे। साक्ष्य में नकल जमाबंदी साबिक एवं नक्शा ट्रेस साबिक एवं नवीन एवं मिलान क्षेत्रफल संलग्न पत्र है।
2. यह कि सेटलमेंट अधिकारियों द्वारा प्रार्थी की साबिक आराजी नम्बर 204/11 रकबा 2 बीघा के नवीन आराजी नम्बर 110 पर दर्ज आराजी नम्बर 298 रकबा 0.43 हैक्टयर बनाये इस दौरान सेटलमेंट अधिकारियों ने अपने अधिकार क्षेत्र से परे जाकर बिना किसी सक्षम अधिकारी के आदेश के प्रार्थी की उक्त आरजीयात के नक्शे में परिवर्तन कर दिया है और प्रार्थी का नक्शा विपरित दिशा

उपखण्ड अधिकारी
भदेसर, जिला–चित्तौड़गढ़

में लम्बा करते हुए प्रार्थी के पुराने नक्शे के कुछ हिस्से पर विपक्षीगण का नक्शा तरमीम कर दिया गया है जो प्रार्थी के हितो के विपरित है जबकि मौके पर प्रार्थी साबिक नक्शे अनुसार मौके पर काबिज होकर उपयोग उपभोग करता चला आ रहा है जिसे सेटलमेंट के दौरान की गई त्रुटि को दुरुस्त किया जाकर प्रार्थी की आराजीयात नक्शे में साबिक अनुसार अंकित कराई जाना न्यायहित में आवश्यक होने से यह आवेदन बाबत नक्शा दुरुस्ती हेतु पेश है।

3. यह कि सेटलमेंट कर्मचारियों द्वारा प्रार्थी की उक्त आराजीयात के रकबे में कहीं परिवर्तन नहीं किया है मात्र नक्शे में प्रार्थी की उक्त आराजीयात के माप लम्बाई चौडाई में परिवर्तन कर दिया है जिससे प्रार्थी को सरकार द्वारा किसानों को दिये जाने वाले लाभों को प्राप्त करन में कठिनाईयां पैदा हो रही है इसके साथ ही कई स्थानों पर भी नक्शे की आवश्यकता होने पर नक्शे में परिवर्तन होने से उसे कई प्रकार की समस्याओं का सामाना करना पडता है जिससे सेटलमेंट कर्मचारियों द्वारा की गई नक्शे में त्रुटि को प्रार्थी दुरुस्त कराने का कानुनन अधिकारी होने से यह प्रार्थना पत्र बाबत नक्शा दुरुस्ती हेतु पेश है।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर विपक्षीगणों को जरिये सम्मन तलब किया गया है। पेरोकार सरकार उपस्थित। विपक्षी संख्या 02 बावजुद सुचना अनुपस्थित।

लायक अधिवक्ता प्रार्थी की बहस सुनी गई जिन्होने प्रार्थना पत्र में प्रस्तुत दस्तावेज के अनुसार ग्राम पोटलाकंला पटवार हल्का पोटलाकंला की खाता संख्या 110 में दर्ज आराजी नम्बर 298 रकबा 0.43 हैक्टयर, दर्ज रेकार्ड है। जिसके सेटलमेंट से पूर्व के आराजी नम्बर 204/11 रकबा 2 बीघा भूमि के नक्शे में सेटलमेंट अधिकारियों द्वारा की गई त्रुटि को दुरुस्त की जाकर आराजीयात को नक्शे में साबिक नक्शे अनुसार नया नक्शा तरमीम करते हुए विपक्षीगण के नक्शे में भी परिवर्तन कर विपक्षीगण का भी पुराने नक्शे अनुसार तरमीम कराये जाने हेतु प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार करने हेतु निवेदन किया।

पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेज ग्राम पोटलाकंला की खाता संख्या 110 की आराजी नम्बर 298 एवं खाता संख्या 157 की आराजी नम्बर 296, खाता संख्या 1 की आराजी नम्बनर 293 एवं उक्त आराजीयात का मिलान क्षेत्रफल व पुराने एवं नये नक्शा एवं साथ ही प्रार्थी द्वारा बनाया गया नजरी नक्शा एवं प्रार्थी द्वारा शुद्धी हेतु प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों का अवलोकन किया गया है। वकिल प्रार्थी की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेज के अनुसार प्रार्थी का प्रार्थना पत्र में राजस्व रेकार्ड को शुद्धी किया जाने योग्य है। साथ ही न्यायहित

उपखण्ड अधिकारी
भदेसर, जिला-चित्तौड़गढ़

में विपक्षीगण की आराजी का नक्शा भी पूर्वा अनुसार शुद्ध किया जाना उचित है।

उपरोक्त विवेचन एवं प्रस्तुत दस्तावेज अनुसार प्रार्थी का प्रार्थना पत्र धारा 136 एल0आर0एक्ट स्वीकार किया जाता है कि ग्राम पोटलाकंला पटवार हल्का पोटलाकंला की खाता संख्या 110 में दर्ज आराजी नम्बर 298 रकबा 0.43 हैक्टयर, दर्ज रेकार्ड है। जिसके सेटलमेंट से पूर्व के आराजी नम्बर 204/11 रकबा 2 बीघा भूमि के नक्शे में पूर्वा अनुसार तरमीम करने का आदेश दिया जाता है। की सेटलमेंट से पूर्व के नक्शे में प्रार्थी कि आराजी पूर्व से पशचिम दिशा की लम्बाई में अवस्थित थी। जिसे दौराने सेटलमेंट उतर से दक्षिण दिशा की लम्बाई में अवस्थित कर दिया जिससे प्रार्थी की आरजी व विपक्षीगण की आराजी भी प्रभावित हुई हैं। उक्त अशुद्धी को शुद्ध किया जाना उचित होने से प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता हैं। कि प्रार्थी की ग्राम पोटलाकंला की वर्तमान आराजी नम्बर 298 को सेटलमेंट से पूर्व के नक्शे अनुसार पूनः पूर्व से पशिचम की लम्बाई में तरमीम की जावें साथ ही विपक्षीगण की अराजी नम्बर 296 व 293 जो प्रभावित हो रही है उसको भी पूर्व नक्शे अनुसार तरमीम करते हुए उपरोक्तानुसार राजस्व रेकार्ड अमल दरामद किया जावें। निर्णय कि प्रति तहसीलदार भदेसर को भिजवाई जावें। निर्णय खुले न्यायालय में टंकित कराया जाकर सुनाया गया।

(अंजू शर्मा)
उपखण्ड अधिकारी,
भदेसर

उपखण्ड अधिकारी
भदेसर, जिला चित्तौड़गढ़